न्यायालय जिला न्यायाधीश, अजमेर
दीवानी वाद संख्या 165/2025
नवरतन रतनलाल जरिये वारिसान सरोज व अन्य बनाम अनिल व अन्य

22.08.2025

वादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हर्षित मित्तल उपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल उपस्थित।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व्य.प्र.सं. दिनांकित 05.11.2024, प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 व्य.प्र.सं. दिनांकित 23.10.2024 तथा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 व्य.प्र.सं. दिनांकित 18.01.2025 एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत श्रीमती सुशीला गर्ग के देहान्त पर बहस सुनी गई।

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री हर्षित मित्तल ने प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 4 व्य.प्र.सं. दिनांकित 05.11.2024 में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए निवेदन किया कि हस्तगत वाद में प्रतिवादी संख्या 4 श्रीमती सुशीला गर्ग की मृत्यु हो गई है। उनका यह भी निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या–4 की मृत्यु की तारीख व उसके विधिक वारिसान कौन कौन हैं, उनकी जानकारी पूर्व में नहीं थी। जब उन्हें बाद में जानकारी हुई, तब उन्होंने संबंधित प्रार्थना–पत्र पेश किये। प्रार्थना–पत्र दिनांकित 18.01.2025 गुजराती से अंग्रेजी भाषा में रूपान्तरित किये जाने के दस्तावेज के सम्बन्ध में है।

प्रार्थना–पत्र की प्रति विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल को दी गई। उन्होंने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व्य.प्र.सं. का बिना कोई जवाब प्रस्तुत किये मौखिक बहस सुने जाने का निवेदन किया। उनका निवेदन है कि उन्होंने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 व्य.प्र.सं. का जवाब भी प्रस्तुत किया है। उनका निवेदन है कि वादीगण ने जानबूझकर वाद को विलम्बित करने के उद्देश्य से बार–बार अलग–अलग प्रार्थना–पत्र पेश किये हैं, जिनका वाद को विलम्बित करने के अलावा अन्य कोई उद्देश्य नहीं है। उनका यह भी निवेदन है कि यह जरूर है कि वादीगण ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते समय तकनीकी दृष्टिकोण पर विचार नहीं किया।

प्रार्थना–पत्रों पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्टतः प्रकट होता है कि प्रतिवादी संख्या–4 श्रीमती सुशीला गर्ग की मृत्यु हो गई है, जिसे विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने भी स्वीकार किया है। जब उभय पक्ष द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया है कि प्रतिवादी संख्या–4 श्रीमती सुशीला गर्ग की मृत्यु हो गई है, ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या–4 श्रीमती सुशीला गर्ग के विधिक वारिसान, जो निम्नानुसार हैं–

1. पति– श्री सत्यनारायण
2. पुत्री– श्रीमती अल्का अग्रवाल
3. पुत्र– आलोक
4. पुत्री– अनिता

पति/पुत्र/पुत्री मृतका श्रीमती सुशीला गर्ग, निवासीगण ए–169, शिव शक्ति नगर, जगतपुरा रोड़, मालवीया नगर, जयपुर

को रेकार्ड पर लिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

जहां तक वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व्य.प्र.सं. दिनांकित 05.11.2024 में प्रतिवादी संख्या–4 सुशीला गर्ग की मृत्यु की दिनांक का उल्लेख होने से रह जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में इतना ही समाधान पर्याप्त है कि यह एक तकनीकी त्रुटि मात्र है तथा न्यायालय को वाद का न्यायपूर्ण निस्तारण करना है, जिसके लिए इस प्रकार की तकनीकी त्रुटि को गौण कर देना चाहिए। प्रतिवादी संख्या 4 श्रीमती सुशीला गर्ग के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिया जाकर संशोधित शीर्षक पेश किये जाने का आदेश दिया जाता है।

अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व्य.प्र.सं. दिनांकित 05.11.2024, प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 व्य.प्र.सं. दिनांकित 23.10.2024 एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत श्रीमती सुशीला गर्ग के देहान्त का उपरोक्तानुसार निस्तारण किया जाता है।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 व्य.प्र.सं. दिनांकित 18.01.2025 पर विचार किया गया। उक्त प्रार्थना–पत्र में मात्र यह उल्लेख किया गया है कि जिस अधिवक्ता द्वारा गुजराती भाषा में लिखा गया दस्तावेज का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, उसे नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित किया गया है, परन्तु नियम 37 सामान्य नियम (सिविल), 1986 के अनुसार उक्त मामले में यही समाधान पर्याप्त है कि नोटेरी पब्लिक द्वारा उक्त दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर एवं सील अंकित कर दी गई है। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने निवेदन किया कि जो दस्तावेज उन्हें गुजराती भाषा में प्राप्त हुआ है,उसका ट्रांसलेट दस्तावेज पेश किया गया है, जो उन्हें प्राप्त जानकारी के अनुसार सही है, जिसका उन्होंने आज प्रार्थना–पत्र पेश किया है, जो शामिल मिसल हो। अतः यह प्रार्थना–पत्र भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है। पत्रावली वास्ते पेश होने संशोधित शीर्षक व बहस प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 (3) सपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. दिनांकित 09.01.2025 दिनांक 06.09.2025 को पेश हो।

(विक्रान्त गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, अजमेर।